राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 692 / SEIAA/2021
Date: 6/6/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र) – 462016

विषय :– प्रकरण कमांक 9009/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अशिया बेगम पत्नि स्व. श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 626/1, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 726वी SEIAA बैठक दिनांक 25.05.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन का है, क्योंकि पूर्व रकबा 1.00 हे. था जो अब 0.56 हे. हो गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि इस प्रकरण डिया डिंडोरी द्वारा पत्र कमांक 203 दिनांक 24/8/16 के माध्यम पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी की गई है किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के दौरान डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत कर सके एवं गूगल के देखने पर भी वृक्षारोपण इत्यादि की कोई स्थिति नहीं पाई गई । डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में परियोजना प्रस्तावक को 1500 वृक्ष लगाने की शर्त निहित की गई थी किंतु उनके द्वारा यह शर्त पूर्ण नहीं की गई है । समिति ने विचार–विमर्श कर यह अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक एक माह के अंदर आवेदित क्षेत्र में 1500 पौधो का वृक्षारोपण कर, फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर सिया के माध्यम से प्रस्तुत करेंगा तथा संबंधित नस्ती निर्णय सिया की ओर अग्रेषित की जाये।

SEAC की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों एवं पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुये विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Delist किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिवस के अंदर आवेदित क्षेत्र में 1500 पौधो का वृक्षारोपण कर, फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांस सहित प्रतिवेदन SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 16.05.2022 के माध्यम से 1500 पौधो का वृक्षारोपण कर अक्षांश देशांश सहित फोटोग्राफस SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) **द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत** जानकारी को मान्य करते हुए **सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया***

कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण **Relist** किया जाकर परीक्षण हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 693 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 6/6/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. कलेक्टर, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
4. वन मंडलाधिकारी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
5. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. खनिज अधिकारी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
9. श्रीमती अशिया बेगम पत्नि स्व. श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी